

16/6/22

पत्रावली आज प्रार्थिया एवं अप्रार्थीगण द्वारा संयुक्त रूप से आपसी शान्तिपूर्ण वाक्य प्रकरण 14(P) में जारी कोई कार्रवाही नहीं चाहने के निर्वेदन के साथ प्रस्तुत किया गया उभयपक्ष द्वारा लरे इजलास अधिवक्ता प्रार्थिया की उपस्थिति में आपसी शान्तिपूर्ण स्वीकार करने की स्वतंत्र अभिव्यक्ति प्रदान की गई अतः प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत प्रथम पत्र अन्तर्गत नियम 14(P) धू-आवरण नियम 1970 को आपसी शान्तिपूर्ण आधार पर शीप की जाकर नम्बर से कम की जाती है। पत्रावली किस्तव अनुसार हीकर नम्बर से कम ही।

नि. शिखरी वार्ड



20/10/22

अंश 1/1/1/1

Handwritten signature

जिला कलेक्टर
प्रतापगढ (राज.)